[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 32/2020 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 3 अप्रैल, 2020

सा॰ का॰नि॰............ (अ)- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं॰ 76/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1253(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए है, और जो नियत तारीख तक **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते है लेकिन स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंभ फीस को उस कर अवधि के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट, निम्नलिखित कर अवधि है,-- ,

तालिका

क्र.सं. (1)	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	कर अवधि (3)	शर्त (4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो	फरवरी, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है ।" ।

2. इस अधिसूचना को 20 मार्च 2020 से लागू माना जाएगा ।

[फा.सं.-सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

नोट : मूल अधिसूचना सं ० 76/2018- केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, जो सा.का.नि. 1253(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।